



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2010 (आश्विन 17, 1932)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2010 (ASVINA 17, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

#### भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 15 सितम्बर 2010

एसबीडी/क्र. एसबीडी/एस.एच./4/2010-11—भारतीय स्टेट बैंक  
(समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 41, उप धारा (1) के  
अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के  
अनुमोदन से स्टेट बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगी बैंकों के लिए उनके नाम  
के आगे लिखी लेखा परीक्षा फर्मों को लेखा परीक्षक नियुक्त किया है :—

बैंकों का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
1	2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	मैसर्स व्यास एण्ड व्यास, सनदी लेखाकार, 8, कल्पतरु बिल्डिंग, डॉ. एस.एस. राव रोड, परेल, मुंबई-400012 (महाराष्ट्र)
	मैसर्स एस. सी. जे. एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, 1/129 एफ., प्रोफेसर्स कालोनी, हरीपर्वत, आगरा-282002 (उ.प्र.)

मैसर्स एस. एल. छाजेड एण्ड कं., सनदी लेखाकार, आर/12, महाराणा प्रताप नगर जोन-1 भोपाल-462011 (एम.पी.)
मैसर्स एल. यू. कृष्णन एण्ड कं., सनदी लेखाकार, नं. 3-1, सौम्या नाथानील टॉवर, वेस्ट बलब रोड, शिनौय नगर, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु)
मैसर्स बी. खोसला एण्ड कं., सनदी लेखाकार, 104-107, अनुकंपा-II, एम. आई रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान)
मैसर्स एस. डागा एण्ड कं., सनदी लेखाकार, 403, पैगाह प्लाज़ा बशीर बाग, हैदराबाद-500063 (आं. प्र.)

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली \_\_\_\_\_ 2010

संख्या ए-12(11)/11/2008-चि.4 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त सेविकाओं का प्रयोग करते हुए और पिछले सभी भर्ती विनियमों, जहाँ तक वे विशेषज्ञों के पदों/संवर्ग से संबंधित हैं, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा करने से रह गई बातों के अलावा निगम एतद्वारा विशेषज्ञ संवर्ग/पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**
  - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (विशेषज्ञ संवर्ग पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।
  - (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. अनुप्रयोज्यता :**  
ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :**  
उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :**  
उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. जिन पदों के संबंध में सीधी भर्ती विहित की गई है उनके संबंध में चयन बोर्ड का गठन, चयन की प्रक्रिया आदि :**

**(1) चयन बोर्ड :**

- (i) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-
  - (क) भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर का अंशकालिक अध्यक्ष जिसे सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा ।
  - (ख) जिस विद्या/विशेषज्ञ क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है उससे संबंधित दो चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा ।
  - (ग) नई दिल्ली में चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय प्रतिनिधि होगा तथा अन्य राज्यों के मामलों में संबंधित राज्य का वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि होगा । इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है ।
- (ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी । परन्तु, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम अथवा बढ़ाई जा सकती है ।
- (iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ, समय-समय पर महानिदेशक द्वारा सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे ।

**(2) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :**

- (क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती जहाँ कहीं लागू हो सामान्यतः पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर राज्य स्तर पर की जाएगी ।

यदि भर्ती हेतु भिन्न तरीका अंगीकृत करना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के

पश्चात महानिदेशक द्वारा इसे अंगीकृत किया जा सकेगा । तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात कोई अनुवर्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

- (ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।
- (ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा ।
- (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।
- (ड.) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

## 6. निरहता :

ऐसा कोई व्यक्ति :-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं ।

**7. ढील देने की शक्ति :**

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

**8. अपवाद :**

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

**डॉ. सी.एस. केदार**

**महानिदेशक**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा और चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेषज्ञ ग्रेड-2 (कनिष्ठ वेतनमान)	*358 (2008) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है।	मुप के ग्रेड लिपिनीय	6600/- रुपये में वेतन के साथ पी.वी.-3 और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य वैकेंटसर्वंदी भर्ती	लागू नहीं	ही	45 वर्ष से अनधिक (कर्मचारी राज्य बीमा नियम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (लाइसेंसिंट अर्हताओं के अलावा) की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल मान्यता प्राप्त धिक्किस अर्हता । तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल शैक्षिक अर्हता धारक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप धारा(3) में अनुबद्ध शर्तें पूरी करते हैं। (2) अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित अपेक्षित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर अर्हता (प्रत्येक भर्ती के समय दर्शायी जाए) (3) स्नातकोत्तर डिप्रोफिलोमा धारकों के लिए विशेषज्ञता से संबंधित जिम्मेदार पद पर क्रमशः 3/5 वर्ष का कार्य अनुभव। (4) भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, की राजभाषा में मिडिल स्तर की अर्हता परीक्षा पास की हो अथवा यदि अपेक्षित शर्तें पूरी करने वाला कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो व्यय बोर्ड को स्थानीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा करने की शक्तियाँ होंगी।
						टिप्पणी : आयु सीमा नियारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, चिन्हुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्त्रीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लकड़ीप के उम्मीदवारों के लिए नियारित अंतिम तारीख)	टिप्पणी 1 : अन्यथा सुधोम्य उम्मीदवारों के मामले में दबान समिति की सिफारिश पर नियुक्त प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी अर्हताएं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर शिथिलनीय हैं।

न्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवेश की पद्धति - न्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भी जाने वाली विवितों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियों में जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	
9 लागू नहीं	10 दो वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर ठेके के माध्यम से।	12 प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के अन्तर्गत अधिकारी : (1) सदृश पदधारी तथा कालम 8 के अधीन निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले।  ठेके के माध्यम से : अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अपेक्षाएं पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष की अल्पकालिक नियुक्ति।  टिप्पणी 1 : इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में घारित दूसरे संवर्ग वाहा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पणी 2 : ठेका नियुक्ति के लिए वेतनमान सीमांत कारक नहीं होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी योग्यता आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्णय करने का सक्षम होगा।  टिप्पणी 3 : नियुक्ति प्राधिकारी राज्य की राजभाषा प्रशिक्षा पास करने की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।	प्रथम 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विधारण)  1. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम -अध्यक्ष  2. उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम -सदस्य  3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) क.रा.बी. निगम -सदस्य	13 लागू नहीं

पद का/नाम	पद की संरक्षा	वर्णकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा और चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्ती का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2. विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वरिष्ठ वेतनमान) (अंति विशेषज्ञताएं)	*54 (2008) *कार्यभार के आधार पर सख्त्य में परिवर्तन हो सकता है।	ग्रुप के लियकीय ग्रेड वेतन के साथ पी.वी.-3 और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों के लिए स्वीकार्य प्रैविटसब्डी भर्ता	7600/- रुपये लागू नहीं	हैं	45 वर्ष से अनंदित (कर्मचारी राज्य बीमा नियम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल (ताइसरीसिट अहंताओं के अलावा) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहंता। तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल शैक्षिक अहंता धारक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप धारा(3) में अनुबद्ध शर्ते पूरी करते हैं। (2) अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिप्ली या समकक्ष। (3) प्रथम स्नातकोत्तर डिप्ली प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में पाँच वर्ष का अनुभव। (4) भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, की राजभाषा में मिडिल स्तर की अहंता परीक्षा पास की हो अथवा यदि अपेक्षित शर्ते पूरी करने वाला कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो चयन बोर्ड को स्थानीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थीयों की अनुशंसा करने की शक्तियाँ होंगी।	टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का ताहोल तथा सीति जिला और चम्बा जिलों का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्मीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)	टिप्पणी 1 : 5 वर्ष की अवधि की डी.एम./एम.सी.एच. की अहंताधारियों के मामले में उक्त डी.एम./एम.सी.एच. के अंतिम भाग में वरिष्ठ स्नातकोत्तर रेजीडेंसी की अवधि को 5 वर्ष के अपेक्षित अनुभव के लिए गिना जाएगा। टिप्पणी 2 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहंताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 3 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीयों के संबंध में अनुभव संबंधी अहंताएं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिथिलनीय हैं।

व्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - व्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली विवितों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ब्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियों में जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
9 लागू नहीं	10 दो वर्ष के बीच के वर्ष सीधी भर्ती वालों के लिए)	11 सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या ठेके के माध्यम से।	12 प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अन्तर्गत अधिकारी जो सदृश पदधारी हों तथा कालम. 8 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहंता तथा अनुभव रखते हों।  ठेके के माध्यम से : अनिवार्य शैक्षिक अहंता अपेक्षाएं पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष की अत्यकालिक नियुक्ति।  टिप्पणी 1 : इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में घारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पणी 2 : नियुक्ति प्राधिकारी राज्य की राजभाषा में परीक्षा पास करने की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।	13 स्थानांतरण पर विचारार्थ (पुष्प 'क' विभागीय पदोन्नति समिति)  1. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम -अध्यक्ष  2. उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम -सदस्य  3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) क.रा.बी. निगम -सदस्य	14 लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान	क्या चयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (ऐशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
3. विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वरिष्ठ देतनमान) (अति विशेषज्ञताओं के अलावा)	पदों की संख्या डिनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती	मुफ्त का दैर्घ्यकीय लिपिकीय	7600/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-3 और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैविटसवंटी भत्ता	गैर चयन	हौं, केवल सीधी भर्ती के लिए	45 वर्ष से अनधिक (कर्मचारी राज्य बीमा नियम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिधिलनीय)	<p>अनिवार्य :</p> <p>(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल (लाइसेंसिट अर्हताओं के अलावा) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल शैक्षिक अर्हताधारियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप धारा(3) में अनुबद्ध शर्त पूरी करनी होंगी।</p> <p>(2) अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित अपेक्षित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर अर्हता (प्रत्येक भर्ती के समय दर्शायी जाए)</p> <p>(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के लिए विशेषज्ञता से संबंधित जिम्मेदार पद पर क्रमशः 3/5 वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>(4) भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, की राजभाषा में निडिल स्तर पर यह अर्हता परीक्षा पास की हो अथवा यदि अपेक्षित शर्त पूरी करने वाले कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो चयन बोर्ड को स्थानीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा करने की शक्तिवाँ होंगी।</p> <p>टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिधिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी अर्हताएं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिधिलनीय हैं।</p>

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवेश की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली विविध प्रतिक्रियाएँ की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियों में जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
9 नहीं	10 लागू नहीं	11 पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या ठेके के माध्यम से :	12 पदोन्नति द्वारा 2* वर्ष की नियमित सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 पी.डी. 3 ग्रेड वेतन 6600/- रुपये में कनिष्ठ वेतनमान  टिप्पणी : चिकित्सा प्रमाण-पत्र और आध्ययन प्रयोजन के आवास अन्य कारणों से ली गई असाधारण स्थिती को अहंक रखा में शामिल नहीं किया जाएगा।  प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा : केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उड़ानों के अधीन अधिकारी : (1) सूची पदवारी हो तथा कालम 8 के अनुसार शैक्षिक अहंता और अनुभव रखते हों। अथवा (2) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाट ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव तथा कालम संख्या 8 के अंतर्गत विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव रखने वाले 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पी.डी. 3 में विशेषज्ञ ग्रेड-2 (कनिष्ठ वेतनमान)  ठेके के माध्यम से : अनिवार्य शैक्षिक अहंता अपेक्षाएं पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष अत्प्राप्तिक नहीं होगी।  टिप्पणी 1 : इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उच्ची या किसी अन्य संगठन/विभाग में घासित दूसरे संदर्भ आद्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पणी 2 : नियुक्ति प्राप्तिकारी राज्य की राजभाषा परीक्षा पास करने की अपेक्षा को शिखिल कर सकता है।	13 ग्रेड का विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचाराधी)	14 लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4. विशेषज्ञ ग्रेड-1	पदों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती	युप "क" संख्या विनिर्दिष्ट लिपिकीय और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों पर यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबटी भर्ता	8700/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ पी.वी.-4	गैर चयन	हाँ, केवल सीधी भर्ती के लिए	50 वर्ष से अनन्यक (कर्मचारी राज्य बीमा नियम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल (लाइसेंसिट अहंताओं के अलावा) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहंता। तृतीय अनुसूची के भाग-2 में शामिल शैक्षिक अहंता धारक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप धारा(3) में अनुबन्ध शर्तें पूरी करते हैं। (2) अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित अपेक्षित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर अहंता (प्रत्येक भर्ती के समय दर्शायी जाए) (3) डॉ.एम./एम.सी.एच. डिग्री/डिप्लोमा धारकों के लिए संबंधित विशेषज्ञता में जिम्मेदार पद पर क्रमशः 4/6/8 वर्ष का कार्य अनुभव। (4) भाषा परीक्षा : अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य, जहाँ रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, की राजभाषा में भिड़िल स्तर की अहंता परीक्षा पास की हो अथवा यदि अपेक्षित शर्तें पूरी करने वाला कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो चयन बोर्ड को स्थानीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा करने की शक्तियाँ होंगी।

वया सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवेक्षा की पदोन्नति - वया सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियों में जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	
9 नहीं	10 लागू नहीं	11 पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या ठेके के माध्यम से।	12 7600/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ पी.बी. 3 में 4* वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वरिष्ठ वेतनमान) में से पदोन्नति।  *टिप्पणी : चिकित्सा प्रमाण-पत्र और अध्ययन प्रयोजन के अलावा अन्य कारणों से ली गई असाधारण घुटटी को अहंता के अर्हता के साथ सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।  प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा : केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकारी के अधीन अधिकारी : (1) सदृश पदव्यारी तथा कालम 8 के अनुसार शैक्षिक अहंता और अनुभव रखने वाले। अथवा (2) 7600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी. 3 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 4 वर्ष के अनुभव के साथ तथा कॉलम संख्या 8 के अंतर्गत विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वरिष्ठ वेतनमान)  ठेके के माध्यम से : अनिवार्य शैक्षिक अहंता अपेक्षाएं पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की एक वर्ष अल्पकालिक नियुक्ति।  टिप्पणी 1 : इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी था किसी अन्य संगठन/विभाग में घासित दूसरे संवर्धा बाहु पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पणी 2 : नियुक्ति प्राप्तिकारी राज्य की राजभाषा परीक्षा पास करने की अपेक्षा को शिखित कर सकता है।	13 ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विद्यारथ)	14 लागू नहीं

अनुबंध - 1

क.रा.बी.निगम में समूह ‘क’ पदों की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यताओं की सूची

क्र.सं.	विषय	भाग ‘क’ अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता	भाग ‘ख’ अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता
1.	भाग(क) गैर-नैदानिक शरीर-रचना विज्ञान	एम.एस.(शरीर-रचना विज्ञान) एम.एस.सी.(शरीर-रचना विज्ञान) एम.एस.सी.(चिकित्सकीय शरीर-रचना विज्ञान) पी.एच.डी.(शरीर-रचना विज्ञान) डी.एस.सी.(शरीर-रचना विज्ञान)	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	एम.डी.(शरीर-क्रिया विज्ञान) एम.एस.सी.(शरीर-क्रिया विज्ञान) पी.एच.डी.(शरीर-क्रिया विज्ञान) डी.एस.सी.(शरीर-क्रिया विज्ञान)	
3.	जीव-रसायन शास्त्र	एम.डी.(जीव रसायन शास्त्र) एम.एस.सी.(जीव रसायन शास्त्र) पी.एच.डी.(जीव रसायन शास्त्र) डी.एस.सी.(जीव रसायन शास्त्र)	
4.	जीव-भौतिकी	एम.डी.(जीव भौतिकी) एम.एस.सी.(जीव भौतिकी) एम.डी.(शरीर क्रिया विज्ञान या जीव रसायन शास्त्र में) उनीदि भौतिकी में एक वर्ष के प्रशिक्षण के साथ	

5.	भेषजगुण विज्ञान(भेषज)	एम.डी. (भेषजगुण विज्ञान) एम.डी. (भेषजगुण विज्ञान एवं उपचार विज्ञान) एम.एस.सी. (भेषज गुण विज्ञान) डी.एस.सी. (भेषज गुण विज्ञान)	
6.	विकृति विज्ञान	एम.डी. (विकृति विज्ञान) एम.डी. (विकृति विज्ञान एवं जीवाणु विज्ञान)डी.पी.पी. एम.डी. (विकृति विज्ञान एवं जीवाणु विज्ञान)डी.पी.डी. एम.एस.सी. (विकृति विज्ञान) एम.एस.सी. (मेडिकल विकृति विज्ञान) पी.एच.डी. (विकृति विज्ञान) डी.एस.सी. (विकृति विज्ञान) विकृति विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)	डी-(जीवाणुविज्ञान) डॉ.पी.डी.
7.	जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	एम.डी. ( जीवाणु विज्ञान) एम.डी. ( सूक्ष्म-जीव विज्ञान) एम.डी. (विकृति विज्ञान सहित जीवाणु विज्ञान) एम.एस.सी. ( सूक्ष्म-जीव विज्ञान) एम.एस.सी. (जीवाणु विज्ञान)	
उ.	नैदानिक		
1.	सामाचर्य चिकित्सा काय चिकित्सा विज्ञान	एम.डी. (सामाचर्य) एम.डी. (सामाचर्य चिकित्सा पढ़दति) एम.डी. (चिकित्सा और उपचार विज्ञान) एम.आर.सी.पी. आंतरिक चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)	

2.	न्याय चिकित्सा शास्त्र	एम.डी.(न्याय संबंधी चिकित्सा शास्त्र) एम.डी.(विकृति विज्ञान) न्याय संबंधी चिकित्सा शास्त्र में हिलोमा/विकित्सा न्याय शास्त्र में डिप्लोमा सहित चिकित्सा शास्त्र में एम.डी./एम.आर.सी.पी. विकृति विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)	एम.डी.(न्याय संबंधी चिकित्सा शास्त्र) एम.डी.(विकृति विज्ञान)
3.	विकिरण चिकित्सा शास्त्र	एम.डी.(विकिरण चिकित्सा शास्त्र) एम.डी.(विकिरण चिकित्सा)	एम.डी.(विकिरण चिकित्सा शास्त्र) एम.डी.(विकिरण चिकित्सा)
4.	बाल चिकित्सा शास्त्र	एम.डी.(बाल चिकित्सा शास्त्र)	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा दी.सी.एच.
5.	नेदानिक रक्त विज्ञान	रक्त विज्ञान में तीन वर्ष के अनुभव के साथ चिकित्सा विकृति विज्ञान में एम.डी.	दी.डी.डी. दी.टी.डी. दी.टी.सी.डी.
6.	क्षय रोग	एम.डी.(क्षय रोग) दी.डी.टी.डी.या दी.सी.डी.सहित चिकित्सा शास्त्र में एम.डी./एम.आर.सी.पी.	दी.डी.डी. दी.टी.डी. दी.टी.सी.डी.
7.	मनोरोग विज्ञान	एम.डी.(मनोरोग विज्ञान) एम.डी.(मनोवैज्ञानिक मेडिकेन) मनोरोग विज्ञान और तर्किका विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए) 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का दी.पी.एम., दो वर्ष के पाठ्यक्रम का मनोरोग विज्ञान (एडिन) में डिप्लोमा। 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का मनोरोग विज्ञान(सेक मिल) विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रिअल, कनाडा में डिप्लोमा।	दी.पी.एम.(एक वर्ष का पाठ्यक्रम) दी.पी.एम.(रत्नजरोग विज्ञान) दी.वी.
8.	रत्नजरोग विज्ञान	एम.डी.(रत्नजरोग विज्ञान) एम.डी.(चर्म रोग तथा रतिजरोग विज्ञान)	दी.वी.
9.	चर्म रोग विज्ञान	एम.डी.(चर्म रोग विज्ञान) एम.डी.(चर्म रोग विज्ञान एवं रतिजरोग विज्ञान) चर्म रोग विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए)	दी.डी.

10.	चर्मरोग विज्ञान एवं रोतजरोग विज्ञान	एम.डी.(चर्म रोग विज्ञान एवं रोतजरोग विज्ञान) चर्म रोग विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)	डॉ.डी.डॉ., डॉ.डी.डॉ. डॉ.डी.एवं डॉ.
11.	सामान्य शास्त्र्य चिकित्सा विज्ञान	एम.डी.(शास्त्र्य चिकित्सा) एम.एस.(सामान्य शास्त्र्य चिकित्सा)	एम.एस.(विकलाग विज्ञान)
12.	अस्थि रोग विज्ञान	एम.एस.(विकलाग विज्ञान) एम.सी.एस.(विकलाग विज्ञान)	डॉ.आर्थे आर्थे शास्त्र्य चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)
13.	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वासन	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वासन में एम.डी./राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त भौतिक चिकित्सा और पुनर्वासन में डिप्लोमा/एम.डी.(चिकित्सा) एम.एस.(शास्त्र्य चिकित्सा)/एम.डी.(बाल रोग चिकित्सा)/एम.एस.(विकलाग विज्ञान) या अन्य समतुल्य योग्यता के बाद भौतिक चिकित्सा और पुनर्वासन में दो वर्ष का डिप्लोमा :	डॉ.आर्ड.ओ. डॉ.ओ.एम.एस.
14.	ऐचिक योग्यता	एम.एस.(नेत्र विज्ञान) एम.डी.(नेत्र विज्ञान)	एम.एस.(कर्ण-नासा-स्वरयंत्र विज्ञान) नेत्रविज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)
15.	कर्ण-नासा-स्वरयंत्र विज्ञान	एम.एस.(कर्ण-नासा-स्वरयंत्र विज्ञान)	डॉ.आर्ड.ओ. डॉ.ओ.आर.एस.

		डी.जी.ओ.
16.	प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान प्रसूति (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान एम.आर.सी.ओ.जी.	हम.ज्ञा.एच./डी.एम.रो.डब्ल्यू.के साथ एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति तंत्र) एम.आर.सी.ओ.जी. एम.डी. (एस.पी.एम.) एम.डी. (समुदायिक चिकित्सा) एम.एस.ए.एम.एम.सी.एच.) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)
17.	प्रसूति विभाग और इशु स्थानस्थाय	हो.रो.एच./डी.एम.रो.डब्ल्यू.के साथ एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति-विद्या एवं स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति तंत्र) एम.आर.सी.ओ.जी. एम.डी. (एस.पी.एम.) एम.डी. (समुदायिक चिकित्सा) एम.एस.ए.एम.एम.सी.एच.) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड(यू.एस.ए)
18.	विकिरण रोग निदान	एम.डी.एन.टी.विकिरण रोग निदान हो.एम.आर.डी.अवधा दो वर्ष की अवधि का समतुल्य डिलोगा नोट : 1985 से पहले विकिरण चिकित्सा विज्ञान में एम.डी. अध्यवा विकिरण चिकित्सा विज्ञान में विवेमा कर चुके व्यक्तित्व भी विकिरण रोग निदान द्वारा विकिरण चिकित्सा के पढ़ के लिए आवेदन करने के पाव हैं :
19.	विकिरण चिकित्सा	एम.डी.एन.टी.विकिरण चिकित्सा ) हो.एम.आर.डी.अवधा दो वर्ष की अवधि का समतुल्य डिलोगा । नोट : 1985 से पहले विकिरण चिकित्सा विज्ञान में एम.डी. अवधा विकिरण चिकित्सा विज्ञान में डिलोगा कर चुके व्यक्तित्व भी विकिरण रोग निदान द्वारा विकिरण चिकित्सा के पढ़ के लिए आवेदन करने के पाव हैं :

20.	निश्चयेतना विज्ञान	एम.डी. (संज्ञाहरण विज्ञान) एम.डी. (संज्ञाहरण विज्ञान) डी.ए. (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) एफ.ए.आर.सी.एस. (परीक्षा द्वारा) संज्ञाहरण विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	डी.ए.
21.	वक्ष श्वसन रोग	एम.डी. श्वसन रोग तथा टी.बी.ओ. अथवा राष्ट्रीय बोर्ड (श्वसन रोग) में हिलोमा एम.डी. (चिकित्सा विज्ञान) राष्ट्रीय बोर्ड (श्वसन रोग) में हिलोमा सहित	
22.	नाभिकीय औषधि विज्ञान	एम.एन.ए.एम.एस. (अणु चिकित्सा)* डी.एन.बी. (अणु चिकित्सा) *केवल 30.08.1992 को या बाद में स्वीकृत के साथ ही मान्यता प्राप्त	
ग्र.	अन्ति विशेषज्ञताएं		
1.	जठरान्तररोग विज्ञान	डी.एम. (जठरान्त्र रोग विभाग)	
2.	तन्त्रिका विज्ञान	डी.एम. (तन्त्रिका विज्ञान) अथवा मनोरोग विज्ञान तथा तन्त्रिका विज्ञान का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	
3.	अन्तःस्त्राविकी	डी.एम. (अन्तःस्त्राविकी)	
4.	हृदय-रोग-विज्ञान	डी.एम. (हृदय रोग विज्ञान)	
5.	तुरंतक विज्ञान	डी.एम. (तुरंतक विज्ञान)	
6.	एलास्टिक सर्जरी	एम.सी.एच. (एलास्टिक सर्जरी) अथवा एलास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	
7.	वक्ष शाल्य चिकित्सा	एम.सी.एच. (छाती की शाल्य चिकित्सा) अथवा छाती की शाल्य चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	
8.	तन्त्रिका-शाल्यकर्म	एन.सी.एच. (तन्त्रिका-शाल्यकर्म) अथवा तन्त्रिका संबंधी शाल्य चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	

9.	वातरोग शल्य चिकित्सा	एम.सी.एच. (बाल रोग शल्य चिकित्सा)
10.	मूत्र विज्ञान	एम.सी.एच. (मूत्र विज्ञान)
11.	हृदय-वक्ष चिकित्सा	एम.सी.एच. (हृद-वक्ष शल्य चिकित्सा) एम.सी.एच. (वक्ष शल्य चिकित्सा) अथवा वक्ष शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)
12.	जठरन्त्र रोग विज्ञान	एम.सी.एच. (अगमाशय शल्य चिकित्सा) एम.एस. (सामाजिक शल्य चिकित्सा) अगमाशय शल्य चिकित्सा विभाग में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण के नाम के साथ
13.	(कर्क) शल्य-चिकित्सा डो. लोक स्वास्थ्य	एम.सी.एच. (कैंसर शल्य चिकित्सा/शल्य क्रिया सत्तामीमांसा)
1.	सामाजिक और निवारक चिकित्सा/सामुदायिक चिकित्सा	एम.डी. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) एम.डी. (सामुदायिक चिकित्सा) सामाजिक और निवारक चिकित्सा का विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.) दी.पी.एच., डी.आई.एच., एम.पी.एच., डी.टी.एम. एवं डी.आई.एम., ही.टी.एम. एवं एच.
2.	लोक स्वास्थ्य	एम.डी. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) एम.डी. (सामुदायिक स्वास्थ्य) दो. पी.एच. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य डिग्री ऐचेक : (केवल 2 लोक स्वास्थ्य के लिए) दी. पी.एच./ही.एम.सी.डब्ल्यू/डी.आई.एच./डी.एच.ई.

नोट:-

1. एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस., सभी रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त हिलोन्ज और सदस्यता और फेलोशिप तथा रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. की फेलोशिप तथा रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा की फेलोशिप।
  2. यू.एस.ए. के विशेषज्ञता बोर्ड की योग्यताएं धारक संबंधित बोर्ड की सारी अपेक्षाएं पूरी करें।
  3. जहाँ तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता का संबंध है, वे समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में भी स्थान पाएं।
- नोट-4 :** मेम्बर एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान की सदस्य अकादमी एम.ए.एम.एस.
- (i) **नोट :** यह योग्यता राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से चिकित्सा विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा आयोजित (उक्त तारीख से पहले या बाद में) परीक्षा के परिणामों के आधार पर केवल एक अप्रैल, 1976 को या बाद में मंडूर किए जाने पर उपरोक्तानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी तथा मानद हिंगी के रूप में प्रदान किए जाने पर नहीं।

- एम.ए.एस. (शरीर रचना विज्ञान)  
 एम.ए.एस. (सामान्य शाल्य चिकित्सा)  
 एम.ए.एस. (सामान्य चिकित्सा शास्त्र)  
 एम.ए.एस. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)  
 एम.ए.एस. (नेत्र विज्ञान)  
 एम.ए.एस. (संज्ञानहीनता विज्ञान)  
 एम.ए.एस. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा)  
 एम.ए.एस. (मनोरोग विज्ञान)  
 नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन साईंसिस की सदस्यता  
 एम.एन.ए.एम.एस. (शरीर रचना विज्ञान)  
 एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य चिकित्सा शास्त्र)  
 एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य शाल्य चिकित्सा)  
 एम.ए.ए.एस. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)  
 एम.ए.ए.एस. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा शास्त्र)  
 एम.ए.ए.एस. (मनोरोग विज्ञान)  
 एम.ए.ए.एस. (नेत्र रोग विज्ञान)  
 एं योग्यताएं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साईंसिस, नई दिल्ली द्वारा आयोजित (उक्त तारीख से पहले या बाद में) आयोजित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर केवल 3 अप्रैल, 1977 को या बाद में मंडूर किए जाने पर उपरोक्तानुसार मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यताएं होंगी तथा मानद हिंगी के रूप में प्रदान किए जाने पर नहीं।
- एम.ए.ए.एस. (विकिरण रोग निदान)  
 एम.ए.ए.एस. (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)  
 एम.ए.ए.एस. (लोक प्रशासन)

**नोट :** भाग-2 परीक्षा पास करने के बाद स्वीकृत एम.ए.एस. योग्यता को मेडिकल कॉलेजों/शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यताएं माना जाए, बाशते कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय की एम.डी.या एम.एस. डिग्री के द्विना एम.एन.ए.एम.एस. योग्यता धारक परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त तथा आवश्यक मूल्यांकन के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विधिवत् स्वीकृत संस्थान में एक वर्ष का अनुभव हो।

**नोट 4 (ii) :** भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या : वी-11015/12/78-एम.ई.(नीति) दिनांक 29.08.1978 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत योग्यताएं केवल 11 नवम्बर, 1978 को या पहले स्वीकृत किए जाने पर मेडिकल योग्यताएं मानी जाएंगी।

**नोट 5 :** भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित समतुल्य स्नातकोत्तर योग्यताएं धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता धारक माना जाएगा।

**नोट 6 :** पांच वर्ष की अवधि के ही एम./एम.सी.एच. धारकों के मामले को छोड़कर अति विशेषज्ञताओं (एम.सी.एच./डी.एम.) में योग्यताओं के मामले में धारक ने उसका परिषद् द्वारा स्नातकोत्तर मेडिकल परीक्षा पर इसकी सिफारिशों में विहित किए अनुसार समतुल्य योग्यता प्रदान की। (सामान्य चिकित्सा) या एम.डी. (सामान्य शाल्य चिकित्सा) प्राप्त की हो।

2. 1998 के बाद अमाशय शाल्य चिकित्सा की अति विशेषज्ञता में शिक्षण नियुक्तियों के लिए उम्मीदवाएँ नंबिधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता धारण करे जो कि एम.डी./एम.सी.एच. अथवा परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की गई अन्य योग्यताएं हैं। एम.एस. अथवा संबंधित विशेषज्ञता में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण के साथ समतुल्य योग्यता उपरोक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए उस तरीख से पर्याप्त योग्यता नहीं मानी जाएगी।

**नोट 7 :** यह सूची संपूर्ण नहीं है। नियंत्रण प्राधिकारी संघ लोक सेवा अवयोग के परामर्श से भाग-क, ख, ग और घ को अन्य योग्यताएं निर्दिष्ट करने की शक्ति रखेगा।

फाइल सं.

(हस्ताक्षर)

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 2010

No. A.12 (11)/11/2008-Med.-IV. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of all previous Recruitment Regulations so far as they relate to the post cadre of Specialists, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the Specialist cadre/post namely:-

**1. Short title and commencement:** (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Specialists Cadre Posts), Recruitment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application:** — These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

**3. Number of posts, classification and scale of pay:-** The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and others matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**5. Composition of Selection Board, procedure of Selection etc. in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:**

(1) **Selection Board:**

(i) The selection Board shall consist of:-

(a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(b) Two Medical experts from the discipline/ specialized field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

- (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the departmental representative in New Delhi and in case of other States, the Senior State Medical Commissioner or State Medical Commissioner of the respective States will be departmental representatives. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the departmental representative.
- (ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to travelling allowances, sitting fees etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Government.

***(2) Procedure and manner of Selection:-***

- (a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made at state level on the basis of an interview of eligible candidates. In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.
- (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

**6. Disqualification - No person :-**

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 7. Power to relax:-** Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings:-** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**(Dr. C. S. Kedar)**  
**Director General**

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Specialist Grade-II (Junior Scale)	*358 (2008) * subject to variation dependent on workload	Group 'A' Non -Ministerial	PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Health Service.	Not applicable	Yes	<p>Not exceeding 45 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants.</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p><b>Essential :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the first or second Schedule or part-II of third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualification included in part II of the third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of the section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post Graduate qualification in the requisite specialty (to be indicated at the time of each recruitment) as mentioned in Annexure-I.</li> <li>(iii) 3/5 years work experience in a responsible position connected with the specialty for Post Graduate Degree / Diploma holders respectively.</li> <li>(iv) Language Test : The candidate shall have passed middle level examination in official language of the State concerned where the vacancies are notified or if no candidate is available who fulfills the required conditions, Selection Board will have powers to recommend candidates who have working knowledge of local language.</li> </ul> <p><b>Note 1:</b> Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>	

Dated 13.05.2010

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment failing which by deputation failing both through contract.	<p><b>TRANSFER ON DEPUTATION</b></p> <p>Officers under the Central / State Govt. service/ Public Sector Undertaking:</p> <p>(i) Holding analogous posts and possessing the educational qualifications and experience prescribed under column No. 8.</p> <p><b>Through Contract :</b> Short term appointment for one year of Medical Officers who fulfils essential educational qualification requirement.</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 5 years.</p> <p><b>Note 2 :</b> Pay scale will not be a limiting factor for contract appointment and appointing authority shall be competent to decide the compensation on merit.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Appointing Authority can also relax the requirement of passing the test in the official language of the State.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</p> <p>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Chairman</p> <p>2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Member</p> <p>3. Additional Commissioner (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member</p>	Not applicable

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Specialist Grade-II (Senior Scale) (Super Specialities)	*54 (2008)  * Subject to variation depending upon the work load	Group 'A' Non-ministerial	PB-3 with Grade Pay of Rs. 7600/- plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Health Service.	Not applicable	Yes	<p>Not exceeding 45 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants).</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the first or second Schedule or Part-II of the third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part-II of the third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post graduate degree in the concerned speciality as mentioned in Annexure-I or equivalent.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned speciality after obtaining the first Post Graduate Degree.</p> <p>(iv) Language Test : The candidate shall have passed middle level examination in official language of the State concerned where the vacancies are notified or if no candidate is available who fulfills the required conditions, Selection Board will have powers to recommend candidates who have working knowledge of local language.</p> <p><b>Note 1 :</b> In the case of holders of D.M./M.Ch. qualification of five years' duration, the period of senior PG residency rendered in the last part of the said D.M. / M.Ch. shall be counted towards requirement of five years' experience</p> <p><b>Note 2:</b> Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 3:</b> The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

Dated 13.05.2010

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years (for direct recruits only)	By direct recruitment or by deputation / absorption or through contract	<p><b>By Transfer on deputations:</b> Officers under the Central/State Govt. service/Public Sector undertaking holding analogous posts and possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits as per column No. 8.</p> <p><b>Through Contract :</b> Short term appointment for one year of Medical Officers who fulfils essential educational qualification requirement.</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 5 years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The Appointing Authority can also relax the requirement of passing the test in the official language of the State.</p>	<b>FOR CONSIDERING CONFIRMA- TION (GROUP 'A' DPC)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman</li> <li>2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member</li> <li>3. Additional Commissioner (Medical Administration) Employees' State Insurance Corporation -Member</li> </ul>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Specialist Grade-II (Senior Scale) (Other than Super Specialities)	Number of posts cannot be specified.	Group 'A' Non - ministerial	PB-3 with Grade Pay of Rs. 7600/- plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Health Service.	Non Selection	Yes for direct recruits only	<p>Not exceeding 45 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants.</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the first or second Schedule or part-II of third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualification included in part II of the third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in subsection (3) of the section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post Graduate qualification in the requisite specialty (to be indicated at the time of each recruitment) as mentioned in Annexure-I.</li> <li>(iii) 3/5 years work experience in a responsible position connected with the specialty for Post Graduate Degree / Diploma holders respectively.</li> <li>(iv) Language Test : The candidate shall have passed middle level examination in official language of the State concerned where the vacancies are notified or if no candidate is available who fulfills the required conditions, Selection Board will have powers to recommend candidates who have working knowledge of local language.</li> </ul> <p><b>Note 1:</b> Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

Dated 13.06.2010

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
No	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment or by deputation/ absorption or through contract.	<p><b>By Promotion:</b> Specialist Grade II (Junior Scale PB-3, GP Rs.6600) with 2* years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p><b>BY TRANSFER ON DEPUTATION</b> Officers under the Central / State Govt. service/ Public Sector Undertaking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Holding analogous posts and possessing the educational qualifications and experience as per column No.8.</li> <li>OR</li> <li>(ii) Specialist Grade-II (Junior Scale) in the PB-3 GP Rs.6600/- with 2 years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience prescribed under column No.8.</li> </ul> <p><b>Through Contract :</b> Short term appointment for one year of Medical Officers who fulfils essential educational qualification requirement.</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 5 years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The Appointing Authority can also relax the requirement of passing the test in the official language of the State</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion / confirmation).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Chairman.</li> <li>2. Dy. Medical Commissioner/ Director (Medical) Delhi, Employees' State Insurance Corporation - Member</li> <li>3. Additional Commissioner (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Specialist Grade-I	Number of posts cannot be specified.	Group 'A' Non-ministerial	PB-4 with Grade Pay of Rs. 8700/- plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Health Service.	Non selection	Yes for direct recruits only	<p>Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants.</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the first or second Schedule or part-II of third Schedule (other than licensiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualification included in part II of the third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-sector (3) of the section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post Graduate qualification in the requisite specialty (to be indicated at the time of each recruitment) as mentioned in Annexure-I.</li> <li>(iii) 4/6/8 years work experience in a responsible position connected with the specialty for D.M./M.Ch. Degree/Post Graduate Degree/ Diploma holders respectively.</li> <li>(iv) <b>Language Test :</b> The candidate shall have passed middle level examination in official language of the State concerned where the vacancies are notified or if no candidate is available who fulfills the required conditions, Selection Board will have powers to recommend candidates who have working knowledge of local language.</li> </ul> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

Dated 13.05.2010

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
No	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment or by deputation/ absorption or through contract.	<p>Promotion from amongst the Specialists Grade-II (Senior scale) with 4* years in PB-3, GP Rs.7600/-</p> <p><b>*Note :</b> Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p><b>BY TRANSFER ON DEPUTATION</b> Officers under the Central / State Govt. service/ Public Sector Undertaking:</p> <p>(i) Holding analogous posts and possessing the educational qualifications and experience as per column No.8.</p> <p><b>OR</b></p> <p>(ii) Specialist Grade-II (Senior Scale) in PB-3, GP Rs.7600/- with 4 years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience prescribed under column No.8.</p> <p><b>Through Contract :</b> Short term appointment for one year of Medical Officers who fulfils essential educational qualification requirement</p> <p><b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 5 years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The Appointing Authority can also relax the requirement of passing the test in the official language of the State.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion / confirmation).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Chairman.</li> <li>2. Dy. Medical Commissioner/ Director (Medical) Delhi, Employees' State Insurance Corporation Member</li> <li>3. Additional Commissioner (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member</li> </ol>	Not applicable

## ANNEXURE-I

## List of recognized Post graduate qualifications for recruitment to Group 'A' posts in the ESI Corporation.

Sl. No.	Subject	Requisite Post Graduate Degree Qualification		Section 'B' Requisite Post Graduate Diploma Qualification
		Part (A) NON CLINICAL		
1.	Anatomy	M.S. (Anatomy) M.Sc. (Anatomy) M.Sc. (Medical Anatomy) Ph. D. (Anatomy) D.Sc. (Anatomy)		
2.	Physiology	M.D. (Physiology) M.Sc. (Physiology) Ph. D. (Physiology) D.Sc. (Physiology)		
3.	Bio-Chemistry	M.D. (Bio-Chemistry) M.Sc. (Medical Bio-Chemistry) Ph. D. (Bio-Chemistry) D.Sc. (Bio-Chemistry)		
4.	Bio-Physics	M.D. (Bio- Physics) M.Sc. (Bio- Physics) M.D. (In Physiology or Bio-Chemistry) with 1 year training in Bio- Physics		
5.	Pharmacology	M.D. ( Pharmacology) M.D. ( Pharmacology & Therapeutics) M.Sc. ( Pharmacology) D.Sc. ( Pharmacology)		
6.	Pathology	M.D. ( Pathology) M.D. ( Pathology & Bacteriology) D.C.P. W.D. ( Pathology & Bacteriology) D.P.B. M.Sc. ( Pathology) M.Sc. (Medical Pathology) Ph. D. ( Pathology) D.Sc. ( Pathology) Speciality Board of Pathology (USA)		
7.	Bacteriology / Microbiology	M.D. ( Bacteriology) M.D. (Microbiology) M.D. (Bact. With Pathology) W.Sc. (Microbiology) W.Sc. (Bacteriology)		D. (Bact.) D.P.B.

<b>CLINICAL</b>	
1.	General Medicine  M.D. (General) M.D. (General Medicine) M.D. (Medicine & Therapeutics) M.R.C.P.
2.	Forensic Medicine  M.D. (Forensic Medicine) M.D. (Pathology) M.D. / M.R.C.P. in Medicine with Diploma in Forensic Medicine / diploma in Medical Jurisprudence. Speciality Board of Pathology (USA)
3.	Radiation Medicine  M.D. (Radiation Medicine) M.D. (Radio-Therapy)
4.	Paediatrics  M.D. (Paediatrics)
5.	Clinical Haematology  M.D. in Medicine / Pathology with three years' experience in Haematology.
6.	Tuberculosis  M.D. (Tuberculosis) M.D. / M.R.C.P. in Medicine with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D.
7.	Psychiatry  M.D. (Psychiatry) M.D. (Psychological Medicine) Speciality Board of Psychiatry & Neurology (USA) D.P.M. of 2 years course, Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course, Diploma in Psychiatry (Mc. Gill) University, Montreal, Canada of two years' course
8.	Venereology  M.D. (Venereology) M.D. (Dermatology and Venereology)
9.	Dermatology  M.D. (Dermatology ) M.D. (Dermatology & Venereology)
10.	Dermatology & Venereology  Speciality Board of Dermatology (USA). M.D. (Dermatology & Venereology) Speciality Board of Dermatology (USA).
11.	General Surgery  M.D. (Surgery) M.S. (General Surgery) Speciality Board of Surgery (USA) FRCS
12.	Orthopaedics  M.S. (Ortho.) M. Ch. (Ortho.) Speciality Board of Ortho. Surgery (USA)

13.	Physical Medicine and Rehabilitation	M.D. in Physical Medicine and Rehabilitation / Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation given by National Board of Examination / Two years' diploma course in Physical Medicine and Rehabilitation after M.D. (Medicine) / M.S. (Surgery) / M.D. (Paediatrics) / M.S. (Orthopaedics) or any other equivalent qualification.	
<b>Desirable Qualification :</b>			
14.	Ophthalmology	M.S. (Ophthalmology) M.D. (Ophthalmology) Speciality Board of Ophthalmology (USA)	D.O. D.O.M.S.
15.	Oto-Rhino-Laryngology (ENT)	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology) Speciality Board of Laryngology (USA)	D.I.O. D.O.R.L.
16.	Obstetrics and Gynaecology	M.D. (Obstetrics and Gynaecology) M.S. (Obstetrics and Gynaecology) M.D. (Mid & Gynae.) M.S. (Mid & Gynae.) M.O. M.R.C.O.G.	D.G.O.
17.	Maternity and Child Health	Speciality Board of Obstetrics and Gynaecology (USA)  D.C.H. / D.M.C.W. with M.D. (Obst. & Gynae.) M.S. (Obst. & Gynae.) M.D. (Mid & Gynaecology) M.S. (Mid. & Gynaecology) M.D. (Obstetrics) M.D. M.R.C.O.G. M.D. (SPM) M.D. (Community Medicine) M.N.A.M.S. (Integrated MCH)	D.M.C.W.
18.	Radio-diagnosis	Speciality Board of Obst. & Gynaecology (USA)  M.D. (Radio-diagnosis) D.M.R.D. or equivalent diploma of two years' duration. Note : The persons who have done their M.D. in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 will also be eligible to apply to the post of Radio-diagnosis and Radio-Therapy.	D.M.R.D. or equivalent diploma of one year duration.
19.	Radio-Therapy		D.M.R.T. or equivalent diploma of one year duration.

20.	Anaesthesiology	M.D. (Anaesthesiology) M.D. (Anaesthesiology) D.A. (Two years' course) FFARCS (by examination)	D.A.
21.	Chest / Respiratory Diseases	M.D. Respiratory Diseases and T.B.O. or Diploma National Board (Respiratory Diseases) M.D. (Medicine) with Diploma National Board (Respiratory Diseases)	
22.	Nuclear Medicine	M.N.A.M.S. (Nuclear Medicine)* D.N.B. (Nuclear Medicine)	
		*recognised only with granted on or after 30/8/92.	
<b>C. SUPER SPECIALITIES</b>			
1.	Gastro Enterology	D.M. (Gastroenterology)	
2.	Neurology	D.M. (Neurology) OR Speciality Board of Psychiatry and Neurology (USA)	
3.	Endocrinology	D.M. (Endocrinology)	
4.	Cardiology	D.M. (Cardiology)	
5.	Nephrology	D.M. (Nephrology)	
6.	Plastic Surgery	M.Ch. (Plastic Surgery) OR Speciality Board of Plastic Surgery (USA)	
7.	Thoracic Surgery	M.Ch. (Thoracic Surgery) OR Speciality Board of Thoracic Surgery (USA)	
8.	Neuro-Surgery	M.Ch. (Neuro-Surgery) OR Speciality Board of Neurological Surgery (USA)	
9.	Paediatric Surgery	M.Ch. (Paediatric Surgery)	
10.	Urology	M.Ch. (Urology)	
11.	Cardio Thoracic	M.Ch. (Cardio Thoracic Surgery) M.Ch. (Thoracic Surgery) OR Speciality Board of Thoracic Surgery (USA)	
12.	Gastro-Intestinal Surgery	M. Ch. (Gastro- Intestinal Surgery) M. S. (General Surgery) with two years special training in a department of G.I. Surgery.	
13.	Cancer Surgery	M.Ch. (Cancer Surgery / Surgery Oncology)	
<b>D. PUBLIC HEALTH</b>			
1.	Social and Preventive Medicine / Community Medicine	M.D. (Social and Preventive Medicine) M.D. (Community Medicine) • Speciality Board of Social and Preventive Medicine (USA)	D.P.H., D.I.H., M.P.H., D.I.M., D.T.M. & H.
2.	Public Health	M.D. (Community Health) Dr. P.H. or any other equivalent degree recognised by Medical Council of India. Desirable : (Only for 2 Public Health) DPH/DMCW/DIH/DHE.	

**Note :-**

1. M.R.C.P./F.R.C.P.; F.R.C.S. refer to Diploma or Membership and Fellowship awarded by all the Royal College of U.K. and Fellowship or Royal College of Canada.
  2. Holders of Speciality Board of USA qualifications should complete the entire requirements of the Board concerned.
  3. In so far as Post-graduate Medical qualification awarded by Indian Universities are concerned, they should also find a place in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, as amended from time to time.
- Note -4.** Member Academy of Medical Science M.A.M.S.
- (i) Note : This qualification shall be a recognised medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the 1<sup>st</sup> April, 1976 on the basis of the results of examination conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an Honorary Degree.

M.A.M.S. (Physiology)  
M.A.M.S. (General Surgery)  
M.A.M.S. (General Medicine)  
M.A.M.S. (Obst. & Gynaecology)  
M.A.M.S. (Ophth.)  
M.A.M.S. (Anaes.)  
M.A.M.S. (Social & Preventive Medicine)  
M.A.M.S. (Psychiatry)

**Membership of the national Academy of Medicine Sciences.**

M.N.A.M.S. (Physiology)  
M.N.A.M.S. (General Medicine)  
M.N.A.M.S. (General Surgery)  
M.N.A.M.S. (Obst. & Gynaecology)  
M.N.A.M.S. (Social & Preventive Medicine)  
M.N.A.M.S. (Psychiatry)  
M.N.A.M.S. (Ophthalmology)

These qualifications shall be recognised medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the third April, 1977 on the basis of the result of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an honorary degree.

M.N.A.M.S. (Radio-diagnosis)  
M.N.A.M.S. (Radio-Therapy)  
M.N.A.M.S. (Public Administration)

**Note :** M.N.A.M.S. qualification granted after passing Part-II Examination may be considered as requisite Post-graduate qualifications for the purpose of appointment of teachers in medical colleges / teaching institutions, provided that a holder of the M.N.A.M.S. qualification without an M.D. or M.S. Degree of an India University, shall undergo one year's research experience in an institution recognised by the Council and duly accepted by the Medical Council of India after necessary evaluation.  
**Note 4 (ii) :** In terms of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notification No. V.11015/12778-ME(Policy) dated the 29-8-1978, the qualifications granted in United Kingdom shall be recognised medical qualifications only when granted on or before 11<sup>th</sup>, November, 1978.  
**Note : 5** Holders of equivalent Post-graduate qualifications as are approved by the Medical Council of India from time to time will be considered to have requisite Post-Graduate qualification in the subject concerned.  
**Note : 6** In the case of qualifications in Super Specialities (M.Ch/D.M.), except in case of holders D.M/M.Ch. of five years' duration, the holder should have obtained M.D. (General medicine) or M.S. (General Surgery) on an equivalent qualification as prescribed by the said Council in its recommendations on Post graduate Medical Examination.

2. After 1998, for teaching appointments in super Speciality of Gastro-Intestinal Surgery, the candidates must possess Post-Graduate degree qualification in the Speciality concerned, that is D.M./M.Ch. after M.D./M.S. or other qualifications as may be approved by the Council from time to time. The existing alternative qualification that is M.S. or an equivalent qualification with two years' special training in a recognised training centre in the speciality concerned shall cease to be sufficient qualification for appointment to aforesaid teaching posts from that date.
- Note: 7** This list is not exhaustive. The Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission shall have the power to assign other qualifications to Part-A, B, C or D.